भारत में पुलिस जाँच की एक विश्वसनीय संहिता की आवश्यकता

प्रिलिम्स के लिये:

भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मलिमथ समिति, **पुलिस सुधार**

मेन्स के लिये:

भारत में पुलिस व्यवस्था से संबंधित चुनौतियाँ, पुलिस सुधार पर समितियाँ/आयोग।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल के एक फैसले में **भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने दोषियों (जो अपराध या गलत कार्य के लिये दोषी नहीं पाए गए) को बरी करने संबंधी कानूनों में खामियों को नियंत्रित करने हेतु **"सुसंगत और भरोसेमंद जाँच संहिता"** की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

- न्यायालय ने पुलिस जाँच में खामियों का हवाला देते हुए वर्ष 2013 के अपहरण और हत्या मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके बाद ये टिप्पणियाँ आईं।

पुलिस जाँच के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- सर्वोच्च न्यायालय ने **आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों** पर **न्यायमूर्ति वी.एस. मलिमथ समिति** की वर्ष 2003 की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें इस तर्क पर ज़ोर दिया गया था कि "दोषियों का सफल अभियोजन सत्य की गहन और सावधानीपूर्वक खोज एवं साक्ष्यों के संग्रह पर निर्भर करता है जो स्वीकार्य व संभावित दोनों हैं"।
- न्यायालय ने **वर्ष 2012 में भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट** का हवाला देकर कहा कि दोषसिद्धि की कम दर के कारणों में **"पुलिस द्वारा अयोग्य, अवैज्ञानिक जाँच और पुलिस एवं अभियोजन के बीच उचित समन्वय की कमी" शामिल है।**

भारत में सुसंगत और विश्वसनीय पुलिस जाँच संहिता की आवश्यकता:

- पुलिस जाँच में उन खामियों को रोकने के लिये, **जिसके कारण तकनीकी आधार पर दोषियों को बरी कर दिया जाता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उजागर किया है।**
- **जाँच और साक्ष्य संग्रह के मानकों में सुधार करने के लिये** , जो अक्सर अयोग्य एवं अवैज्ञानिक होते हैं, जैसा कि **भारत के विधि आयोग** ने बताया है।
- आ**पराधिक न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता और वैधता** को बढ़ाने के लिये, जो अक्सर **भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन** से प्रभावित होती है।
- अपराधियों के खिलाफ सफल अभियोजन सुनिश्चित करने के लिये, विशेषकर हत्या, बलात्कार, आतंकवाद आदि जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में।
- पीड़ितों, गवाहों और आरोपियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने के लिये, जिन्हें अक्सर जाँच प्रक्रिया के दौरान उत्पीड़न, धमकी तथा ज़बरदस्ती का सामना करना पड़ता है।

Police Reforms in India

CONSTITUTIONAL STATUS

- Police and Public Order: State subjects (7th Schedule)

NEED FOR REFORM

- Colonial Law
- Custodial Death
- Lack of Accountability
- Political Interference
- Poor Gender Sensitivity
- Communal/Caste Bias
- No Anti-Torture Law

RELATED DATA

- Police-People Ratio: 153 police/100,000 people (Global benchmark: 222 police /100,000 people)
- Custodial Deaths: 175 in 2021-2022 (as per MHA)
- Women's Share: 10.5% of entire force (India Justice Report 2021)
- Infrastructure: 1 in 3 police stations is equipped with CCTV (India Justice Report 2021)

IMPORTANT COMMITTEES/COMMISSION

- 1977–81: National Police Commission
- 1998: Ribeiro Committee
- 2000: Padmanabhalah Committee
- 2002–03: Malimath Committee
- 2005: Police Act Drafting Committee
- 2006: Supreme Court Directions in Pakash Singh vs Unionof India
- 2007: Second Administrative Reforms Commission
- 2012-13: Justice J.S. Verma committee
- 2015: Police Act Drafting Committee II

RELATED INITIATIVES

- SMART Policing (pan-India)
- Automated Multimodal Biometric Identification System (AMBIS) (Maharashtra)
- Real Time Visitor Monitoring System (uses AI and blockchain) (Andhra Pradesh)
- CyberDome (Tech R&D Centre) (Kerala)

CHALLENGES WITH POLICING

- Low Police-Population Ratio
- Political Superimposition
- Unsatisfactory Police-Public Relations
- Infra Deficit
- Corruption
- Understaffed/Overburdened

WAY FORWARD

- ↑Police Budget, Resources
- ↑Recruitment Process
- Implement Measures to Reduce Corruption
- ↑Skills of Policemen
- Better Representation (Women, Minorities)

Drishti IAS

//

भारत में पुलिस जाँच के लिये मलिमथ समिति की सिफारिशें:

- **परिचय:**
    - मलिमथ समिति की स्थापना वर्ष 2000 में गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य **भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार** करना था। इसने वर्ष 2003 में "आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पर समिति की रिपोर्ट" नामक अपनी रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं।
    - समिति की अध्यक्षता **कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश** न्यायमूर्ति वी.एस. मलिमथ ने की।
    - समिति की राय थी कि मौजूदा प्रणाली **"अभियुक्तों के पक्ष में है** और **अपराध के पीड़ितों को न्याय दिलाने पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं करती है।"**
- **पुलिस जाँच के लिये सिफारिशें:**
    - पैनल ने जिज्ञासु जाँच प्रणाली के तत्त्वों को शामिल करने का सुझाव दिया जिसका उपयोग फ्राँस और जर्मनी जैसे देशों में किया जाता है और इसकी **निगरानी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती** है।
    - समिति ने **जाँच विभाग को विधि एवं व्यवस्था से अलग करने** का सुझाव दिया।
    - इसने जाँच की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में **राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग** और **राज्य सुरक्षा आयोगों** की स्थापना की भी सिफारिश की।
    - इसने कई उपायों का सुझाव दिया, जिसमें **अपराध डेटा की देखरेख** करने के लिये प्रत्येक ज़िले में एक अतिरिक्त SP की नियुक्ति, संगठित अपराध से निपटने के लिये **विशेष दस्तों का संगठन** और अंतर-राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जाँच के लिये अधिकारियों की एक टीम के आलावा पोस्टिंग, स्थानांतरण आदि से निपटने के लिये एक पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन करना शामिल है।
    - **पुलिस हिरासत को** अब 15 दिनों तक सीमित कर दिया गया है। समिति ने सुझाव दिया कि इसे **30 दिनों तक बढ़ा दिया जाए** और **गंभीर अपराधों के मामले में चार्ज शीट दाखिल करने के लिये 90 दिनों का अतिरिक्त समय** दिया जाए।

अपराधिक न्याय प्रणाली:

- आपराधिक न्याय प्रणाली कानूनों, प्रक्रियाओं एवं संस्थानों का समूह है जिसका उद्देश्य सभी लोगों के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अपराधों को रोकना, उनका पता लगाना, मुकदमा चलाना तथा दंडित करना है।
- इसकी चार उपप्रणालियाँ हैं:
    - विधानमंडल (संसद)
    - प्रवर्तन (पुलिस)
    - न्यायनिर्णयन (न्यायालय)
    - सुधार (कारावास, सामुदायिक सुविधाएँ)
- भारत की आपराधिक न्याय प्रणालियों का विकास विभिन्न शासकों के अधीन हुआ है, भारत में आपराधिक कानूनों को ब्रिटिश शासन के दौरान संहिताबद्ध किया गया था, जो आज भी काफी हद तक अपरिवर्तित हैं। बाद में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत वर्ष 1834 में स्थापित पहले कानून आयोग के अनुसार वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) का मसौदा तैयार किया गया था।
- **दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- CrPC)** भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिये प्रक्रियाएँ प्रदान करती है। इसे वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया और यह 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

_?????????:_

प्रश्न. निम्नलिखित में से किस सुधार के लिये भारत सरकार द्वारा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था? (2008)

(a) पुलिस सुधार
(b) कर सुधार
(c) तकनीकी शिक्षा में सुधार
(d) प्रशासनिक सुधार

उत्तर: (d)

_?????_

प्रश्न भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले अन्य याँत्रिकत्वों (मकैनिज़्म) द्वारा पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका और अन्य संस्थानों के प्रभावी पूरक के रूप में एन.एच.आर.सी की भूमिका का आकलन कीजिये। (2014)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/the-need-for-a-reliable-code-of-police-investigation-in-india